(2)

संख्या- 2191 / III-2/06-36(प्रा.आ.)/06

[stamp] Dairy No. 5330 / File No. 4C / Date of Receipt 30/9/06

[illegible]
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 19 सितम्बर, 2006

विषयः- वित्तीय वर्ष 2006-07 में 10(दस) कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 10 कार्यो के रूपये 2025.72 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 1776.60 लाख (रूपये सत्रह करोड़ छिहत्तर लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आगणन की [illegible] विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक [illegible] के लिये उनके सम्मुख कालम-06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 0.10 हजार (रू0 दस हजार मात्र) की ध[illegible]शि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

5. [illegible]मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति [illegible]प्त करना आवश्यक होगा ।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

10. कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण वित्त अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शा0सं0-452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 एवं उनके द्वारा समय-2 निर्गत आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
नि० ख० लो० नि० वि०
रानीखेत

(3)

(3)

11. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।

12. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2007 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष मे जमा कर दिया जायेगा।

14. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

16. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय व्ययक मे लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़के-आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

17. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-574/XXVII(2)/2006 दिनांक 18 सितम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः- 10 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या- (1)/III-2/06,तद्‌दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन ।
2. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
3. आयुक्त कुमांयू मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी अल्मोड़ा।
5. मुख्य अभियन्ता, कुमांयू क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोडा।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन ।
10. गार्ड बुक।

True copy

सहायक अभियन्ता
नि० ख० लो० नि० वि०
रानीखेत

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय
मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

पृ०सं०- 1836/20 म्या० (ख)/06 दि० 22.9.06

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-
(1) मुख्य अभियन्ता कुमायूं क्षेत्र, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा।
(2) पत्रावली/गार्ड फाईल।
(3) गार्ड पत्रावली।

25/9/06
मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग

5834/2MG
22-11-06

(4)

शासनादेश संख्या- /111(2)/06-36(प्रा.आ.)/06 दिनांक सितम्बर, 2006 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

क0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी.ए.सी. वित्त द्वारा आंकलित राशि	वित्तीय वर्ष2006-07 में व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1.	अल्मोड़ा में हरडा-भिकियासैंण ह0वा0 मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करने एवं अवशेष भाग का नव निर्माण	8.00	265.42	189.60	0.01
2.	गुरणखेत-सूणी मोटर मार्ग का नव निर्माण	5.00	99.20	89.00	0.01
3.	सौगढ़-पन्तगाँव मोटर मार्ग का डामरीकरण	6.800	128.20	128.20	0.01
4.	सल्ट में रापड़-जीनापानी-मझेड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण	18.00	439.50	409.50	0.01
5.	अल्मोड़ा में सरपटा-चनुली-कोटा बासोट मोटर मार्ग	9.00	173.70	160.20	0.01
6.	विनायक-रिखाड-कोटियाग मोटर मार्ग	7.00	142.24	124.60	0.01
7.	हरड़ा-भिकियासैंण मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण	4.00	68.40	68.40	0.01
8.	सल्ट के अन्तर्गत झीमार-भैंसखेत-डढ़ोली मोटर मार्ग	10.00	200.5	178.00	0.01
9.	सल्ट के अन्तर्गत कारगिल शहीद आनन्द सिंह रावत के ग्राम मिवाईपानी तक स्वीकृत मोटर मार्ग का लिलितपुर-खाटली तक विस्तार	6.00	121.80	106.80	0.01
10.	मरचूला-स्याल्दे-देघाट मोटर मार्ग के पैठाणा से नौला तक डामरीकरण एवं सुधार	22.00	386.76	322.30	0.01
	कुल योग		2025.72	1776.60	0.10

(रूपये दस हजार मात्र)

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

सहायक अभियन्ता
नि0 ख0 लो0 नि0 वि0
रानीखेत

Photo copy attested

सहायक अभियन्ता II
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत